<u>संख्या-151 /2025/I/1128816/2025/71-1002/50/2023</u>

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांक 30 अक्टूबर, 2025**

विषयः-केन्द्र पुरोनिधानित योजना फेज-2 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में 60 यू0जी0 सीटों की वृद्धि के दृष्टिगत उपकरणों के क्रय हेतु निर्गत लिमिट/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष अव्ययित धनराशि को समायोजित करते हुए निर्माण कार्यों हेतु व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2025-26/267, दिनाक 16.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में 60 यू0जी0 सीटों की वृद्धि के दृष्टिगत उपकरणों के क्रय हेतु निर्गत लिमिट/अवमुक्त धनराशि रू0 500.00 लाख के सापेक्ष माह अक्टूबर, 2025 तक सम्भावित अव्ययित धनराशि रू0 111.70821 लाख को समायोजित करते हुए योजनान्तर्गत 02 चालू निर्माण कार्यों हेतु व्यय किये जाने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में 60 यू0जी0 सीटों की वृद्धि हेतु रू0 72.00 करोड़ की धनराशि अनुमोदित की गयी है। उक्त योजना का फण्डिंग पैटर्न 60:40 (केन्द्रांश राज्यांश) है। शासनादेश संख्या-91/2023/I/336935/2023/71-1002/50/2023, दिनांक 22.06.2023 द्वारा योजनान्तर्गत उपकरणों के क्रय हेतु रू0 5.00 करोड़ (रू0 03.00 करोड केन्द्रांश रू0 02.00 करोड़ राज्यांश) धनराशि की लिमिट निर्गत की गयी है। प्रधानाचार्य द्वारा उल्लेख किया गया है योजनान्तर्गत उपकरणों के क्रय हेतु उक्त निर्गत लिमिट रू0 500.00 लाख (रू0 300.00 लाख केन्द्रांश रू0 200.00 लाख राज्यांश) के सापेक्ष रू0 111.70821 लाख (राज्यांश) की धनराशि का व्यय दिनांक 31.10.2025 तक नहीं हो पायेगा।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समयक विचारोपरान्त **केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में 60 यू0जी0 सीटों की वृद्धि के दृष्टिगत** उपकरणों के क्रय हेतु निर्गत लिमिट/अवमुक्त धनराशि रू0 500.00 लाख के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सापेक्ष माह अक्टूबर, 2025 तक सम्भावित अप्रयुक्त/अव्ययित धनराशि **रू0 111.70821 लाख (रू0 एक करोड़ ग्यारह लाख सत्तर हजार आठ सौ इक्कीस मात्र) (राज्यांश)** को समायोजित करते हुए योजनान्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार 02 चालू निर्माण कार्यों हेतु अवशेष/अनुवर्ती किश्त के रूप में व्यय किये जाने हेतु अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(रू0 लाख में)

क्र0	कार्य का विवरण	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि	अवशेष धनराशि	योजनान्तर्गत उपकरणों के क्रय हेतु लिमिट निर्गत के सापेक्ष अव्ययित धनराशि के समायोजन हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	जी0एस0वी0एम0, मेडिकल कॉलेज, कानपुर में लेक्चर थियेटर का निर्माण कार्य।	995.76	736.70	259.06	50.00
2	जी0एस0वी0एम0, मेडिकल कॉलेज, कानपुर में मेन बि्ल्डिग का रेनोवेशन कार्य।	2450.99	1050.99	1400.00	61.70821
योग-		**3446.75**	**1787.69**	**1659.06**	**111.70821**

नियम व शर्त/प्रतिबन्ध-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों, शर्तों व प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की दुरावृत्ति नहीं हो रही है।

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

4. अवमुक्त की जा रही धनराशि आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन्स का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. प्रत्येक परियोजना हेतु सम्बंधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश में उल्लिखित शर्ते यथावत् रहेगी।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी

उप सचिव।

संख्या व दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।